न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 192/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. काली पिता भवाना कंजर 2. कमा पत्नी भवाना कंजर 3. इन्द्र पिता कैलाश कंजर 4. कणू बेवा कैलाश कंजर 5. फोरू पिता कैलाश कंजर निवासीयान सुरास तहसील माण्डलगढ
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21-07-.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम माण्डलगढ की आ.न. 882 रकबा 2.12 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 13.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्व किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(5)

मृत्यु होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 10.10.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रकिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार माण्डलगढ ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक के विरूद्व 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरूद्व कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार माण्डलगढ सम्पूर्ण एवं विधिवत प्रकिया अपनाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)